(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर— 187 / 2020 जी.सी.एम.एस नम्बर :— 2020 / 00330

1. प्रबुसिंह पुत्र मुख सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

20/5/24 .... प्रार्थी

— ब ना म —

1. गिरधारी सिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
2. बलबीर सिंह पुत्र असमान जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
3. सरदार सिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
4. गुगन राम पुत्र मोहरूराम जाति ब्राहमण निवासी धूलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
5. जनक सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
6. जसवंत सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
7. जस्सूसिंह पुत्र असमान जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
8. जाबाई पत्नी असमान सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
9. धर्मा पुत्री असमान सिंह पत्नी पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.) हाल आबाद साथलपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
10. बहादुर सिंह पुत्र रामकुमार सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
11. किशन सिंह पुत्र भवंर सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.01 16:10:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

12. रेखा पुत्री ओम सिंह पत्नी राजू सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.) हाल आबाद तोलियासर तहसील व जिला झुंझुनूं राज0
13. रेखा पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
14. राधा कंवर पुत्री असमान पत्नी राजूसिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.) हाल आबाद साथलपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
15. लीलकर पुत्री असमान पत्नी पहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.) हाल आबाद साथलपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
16. सचीन सिंह पुत्र ओम सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
17. सुमन पत्नी राजपाल जाति नाई निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
18. सरजीत पुत्र ओम सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
19. सरोज देवी पत्नी ओम सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
20. सरीता पुत्री असमान पत्नी दलीप सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.) हाल आबाद साथलपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
21. आई सी आई बैंक लिमिटेड शाखा सागा जरिए शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारक) बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

............................अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

<u>आवेदन पत्र बाबत रास्ता चाहने</u>

<u>अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थित अधिवक्ता :—</u>

प्रार्थीगण की ओर से — श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता
अप्रार्थीगा संख्या 1, 2, 10 की ओर से — श्री विकास कुमार अधिवक्ता

—: निर्णय :—

दिनांक :— ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.01 16:10:48 IST
Reason: SelfAttested

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार है कि:—

1. यह कि वाके ग्राम धुलवा में स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के ख0 न0 83 रकबा 0.12 है0, ख0 न0 84 रकबा 1.92 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.40 है0,

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

का खातेदार कास्तकार आवेदक दर्ज रिकार्ड है। आवेदक ने अपनी भूमि में मकानात बनाकर व चाह बनाकर परिसर सहित आबाद है।

2. यह कि ग्राम धुलवा में स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के हाल ख0 न0 77 रकबा 1.55 है0, ख0 न0 388/85 रकबा 0.86 है0, के समस्त खातेदार अनावेदकगण 1 लगा0 20 दर्ज रिकार्ड है तथा ख0 न0 77 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में से एक कटानी रास्ता जाता है जो आगे के गावों में जाता है।

3. यह कि आवेदक भूमि ख0 न0 83 को दक्षिण—पश्चिम सीमा से सटकर अनावेदक की भूमि ख0 न0 77 व दक्षिण तरफ ख0 न0 388/85 स्थित है। ख0 न0 388/85 में अनावेदकगण ने मकानात बना रखे हैं। आवेदक की भूमि ख0 न0 84 में आने जाने के लिए ख0 न0 77 में से 12 फुट रास्ते की आवश्यकता है जिसका नजरी नक्शा आवेदन पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें रास्ते को लाल सुर्ख रंग से मार्क ए व बी से दर्शाया गया है। आवेदक की भूमि में पहुचने के लिए सबसे नजदीकी रास्ता यही लगता है तथा आवेदक अपनी भूमि पर यही से आने जाने के लिए सारा आवागमन करता है। उक्त रास्ता आवेदक की भूमि ख0 न0 84 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से आगे ख0 न0 77 में से आम रास्ता तक कायम किया जाना आवश्यक है।

4. यह कि आवेदक अपनी भूमि में मकानात बनाकर परिवार सहीत आबाद है। अपनी भूमि को कास्त करने के लिए व बच्चे बीमार होने पर फसल को बाजार तक ले जाने के लिए आवेदक को 12 फुल चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। आवेदक नजरी नक्शे में दर्ज रास्ते से पूर्व आवागमन करता रहा है। लेकिन अब अनावेदकगण आवेदक को अपनी भूमि तक आने—जाने में, गाड़ी टैक्टर ले जाने में व्यवधान पैदा कर रहे है। इसलिए उक्त आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक है।

5. यह कि आवेदक राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अनुसार डी. एल.सी से दुगुनी राशी अथवा अन्य शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

यह कि ग्राम धुलवा में स्थित अनावेदक की भूमि ख0 न0 77 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में से जो आम रास्ता है। उसमें से ख0 न0 77 में से होते हुए आवेदक की भूमि ख0 न0 83 व 84 तक 12 फुट चौड़ा रास्ता जिसको नजरी नक्शे में लाल सुर्ख व मार्क ए. व बी से दर्शाया गया है। उसका राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम कर अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.01 16:10:48 IST
Reason: SelfAttested

(2) आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई । अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 10 की और से श्री विकास कुमार एड द्वारा जवाब नही देना चाहते

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

है। शेष की बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) न्यायालय द्वारा तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट हेतु पत्रांक 381 दिनांक 13.07.2023 के द्वारा पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 655 दिनांक 13.03.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही की –

(1) आवेदक के ख0 न0 83 व 84 में वैकल्पिक रास्तों का अभाव है। वैकल्पिक रास्ता हेतु 2 विकल्प ख0 न0 77 एवं 87 से दर्शाया गया है। जिसमें ख0 न0 77 से रास्ता का क्षेत्रफल 592 वर्ग मीटर है तथा ख0 न0 87 से 720 वर्ग मीटर है। रास्ते की गणना हुई है। रिपोर्ट बनाते समय पूर्व में खातेदारों को नोटिस की कापी सलग्न है। नजरी नक्शा भी सलग्न है। रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक (अत्यधिक) है तथा व जोत (हालिंग) के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है।

(2) प्रस्तावित रास्ते के प्रथम बिन्दू से आवेदक की भूमि तक रास्ते को सीमांकित / दर्शित मार्ग निकटतम व लघुतम है।

(3) नजरी के नक्शा के साथ प्रस्तावित रास्ते का नापः– (1) खसरा नम्बर 77 (जो निकटतम एवं लघुतम है का मूल्य) जो सिचिंत है। रास्ते का क्षेत्रफल (100 मीटर X 4 मीटर + 48 मीटर X 4 मीटर) 592 वर्ग मीटर RF 0.06 है0, (2) रास्ते की डी.एल.सी दर ग्राम धुलवा में सिंचित भूमि आबादी के पास रू 760538 प्रति हैक्टर से दुगुना मूल्य = 91265 रू (इकानवे हजार दो सौ पैसंठ रूप्ये मात्र) है। (3) इस रास्ते में कोई पेड़ या पक्का निर्माण नही है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया।

न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified

तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को ख0 न0 77 से 12 फुट चौड़ा रास्ता दिया जाता है। प्रार्थी डीएलसी के [illegible] मूल्य अप्रार्थीगण को चुकावे। रास्ता सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज होगा।

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.01 16:10:48 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्याः–74 / 2021
प्रबुसिंह बनाम गिरधारी आदि
निर्णय दिनांकः– 20.05.2024

आदेश

"न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ग्राम धुलवा में स्थित अनावेदक की भूमि ख0 न0 77 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में से जो आम रास्ता है। उसमें से ख0 न0 77 में से होते हुए आवेदक की भूमि ख0 न0 83 व 84 तक 12 फुट चौड़ा रास्ता जिसको नजरी नक्शे में लाल सुर्ख से दर्शाया गया है। जिसका कुल रकबा 592 वर्गमीटर मीटर रास्ता के लिए दिये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श –"अ" के अनुसार दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे दर्ज कर खाता संख्या 1 में दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकार की राशि की गणना नियमानुसार ग्राम धुलवा की अधिकतम डी.एल.सी से निर्धारित दर से दो गुणा राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर संम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम किए जावे। तहसीलदार बुहाना का नक्शा ट्रेस प्रदर्श –"अ" निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे"।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 20/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.01 16:10:48 IST
Reason: SelfAttested